पत्रांक :– 1/यो.1–25/2016(उ0शि0) 118/945

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

राज्यांश

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 16/08/2023

विषयः– **सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत जरमुण्डी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 90,67,000/– (नब्बे लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 106/बजट 10.08.2023 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत जरमुण्डी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 90,67,000/– (नब्बे लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि का विकलन मांग संख्या 21 के अधीन निम्नानुसार की जायेगी–

कमांक	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट उपबंधित राशि	आवंटित राशि
1	मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– उपयोजना–01– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203102790678)	26,35,00,000/–	70,26,925/–
2	मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उपयोजना–01– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203789790678)	5,10,00,000/–	13,60,050/–
3	मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उपयोजना–01– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203796790678)	2,55,00,000/–	6,80,025/–
	कुल योग :–	**34,00,00,000/–**	**90,67,000/–**

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो निकासी के उपरांत राशि को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बैंक अकाउन्ट संख्या– 491010110006155 में जमा करेंगे।

4. सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन RUSA के मार्गदर्शिका, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार एवं समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में किया जाएगा। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक RUSA की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होगी।

5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी **PWD Code** के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त ही उक्त राशि का नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या 106/बजट 10.08.2023 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

15/8

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक– 1/यो.1–25/2016(उ0शि0) 1181 बजट/दिनांक– 16/08/2023

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/8

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक 1/यो.1–25/2016(उ0शि0) 1181 बजट/दिनांक– 16/08/2023

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/8

(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।